

भारत सरकार  
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  
लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 764

जिसका उत्तर 21.07.2022 को दिया जाना है

राजमार्गों पर दुर्घटना से होने वाली मौतों को रोकने संबंधी उपाय

764. श्री सुधीर गुप्ता:  
श्री अनुराग शर्मा:  
श्री प्रतावराव जाधव:  
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:  
श्री बिद्युत बरन महतो:  
श्री सुब्रत पाठक:  
श्री रवि किशन:  
श्री रविन्दर कुशवाहा:  
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:  
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर बड़ी संख्या में दुर्घटना से हुई मौतों के मुद्दे का समाधान किया है, जो देश में सड़कों की कुल लंबाई का पांच प्रतिशत है लेकिन दुर्घटना में होने वाली कुल मौतों का 60-65 प्रतिशत इन्हीं सड़कों पर होता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि इसका कारण राष्ट्रीय राजमार्गों के खराब सड़क डिजाइन और योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यात्रियों की कारों, ट्रकों और बसों के लिए रोलिंग रेजिस्टेंस, वेट ग्रिप और रोलिंग साउंड उत्सर्जन संबंधी निर्धारित मानकों को पूरा करने को अनिवार्य बनाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) वाहनों के संबंध में रोलिंग रेजिस्टेंस हेतु सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री  
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) कैलेंडर वर्ष 2019 और 2020 के दौरान देश में सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली कुल मौतों की तुलना में राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) और राज्य राजमार्गों (एसएच) पर सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की कुल संख्या का प्रतिशत हिस्सा नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:-

तालिका: सड़क श्रेणी के अनुसार सड़क दुर्घटनाएं (2019 और 2020)

सड़क की श्रेणी	सड़क की लंबाई (किमी में) (2019)	सड़क की लंबाई (किमी में) (2019)	2020 में सड़क दुर्घटनाएं
देश में सभी सड़कें (एनएच, एसएच और अन्य सड़कें)	6331757	151113	131714
राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)	132499	53872	47984
कुल एनएच का% हिस्सा	2.1	35.7	36.4
राज्य राजमार्ग (एसएच)	179535	38472	33148
कुल एसएच का% हिस्सा	2.8	25.5	25.2

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि सड़क दुर्घटनाएं विभिन्न कारकों के परस्पर क्रिया का परिणाम हैं जिन्हें मोटे तौर पर मानवीय त्रुटि, सड़क की स्थिति/पर्यावरण और वाहनों की स्थिति में वर्गीकृत किया जा सकता है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण नीचे दिया गया है:

- मंत्रालय ने परिपत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-15017/109/2015-पी एंड एम (आरएससीई) दिनांकित 28.10.2015 के अनुसार ब्लैकस्पॉट की पहचान के लिए प्रोटोकॉल को परिभाषित किया है। इस परिपत्र के अनुसार, सड़क दुर्घटना ब्लैक-स्पॉट राष्ट्रीय राजमार्ग का लगभग 500 मीटर लंबा खंड है जिसमें पिछले 3 कैलेंडर वर्षों के दौरान 5 सड़क दुर्घटनाएं (सभी तीन वर्षों में घातक/गंभीर चोटों को मिलाकर) हुई हैं या पिछले 3 कैलेंडर वर्षों के दौरान 10 मौतें (सभी तीन वर्षों में मिलाकर) हुईं। राज्य सरकारों के पुलिस विभागों द्वारा एकत्र किए गए और इस मंत्रालय के परिवहन अनुसंधान विंग (टीआरडब्ल्यू) द्वारा संकलित सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों के आधार पर, शमन के लिए तत्काल अल्पकालिक उपाय और स्थायी सुधार के लिए दीर्घकालिक उपाय करने के लिए ब्लैकस्पॉट की पहचान की जाती है।
- मंत्रालय ने 9 सितंबर 2021 के पत्र के माध्यम से दुर्घटनाओं/मृत्यु के बाद उनके ब्लैक स्पॉटों में बदलने के लिए प्रतीक्षा किए बिना पुलिस रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना स्थलों को हटाने के लिए अग्रिम कार्रवाई करने के लिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों/सचिवों/सभी राज्यों के (लोक निर्माण विभाग) के सभी इंजीनियरों-इन चीफ और मुख्य अभियंताओं, महानिदेशक (सीमा सड़क), अध्यक्ष (एनएचएआई), प्रबंध निदेशक (एनएचआईडीसीएल), मंत्रालय के सभी सीई-आरओ/एसई-आरओ और ईएलओ और मंत्रालय के सभी परियोजना निदेशकों को लिखा है।
- राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा ऑडिट करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार और अधिसूचित किए गए हैं। सड़क सुरक्षा ऑडिट को ईपीसी/बीओटी मोड पर सभी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं का अभिन्न अंग बना दिया गया है। मंत्रालय ने परिपत्र जारी किया है जो विस्तार परियोजना रिपोर्ट

(पीआर)/इंजीनियरिंग डिजाइन के स्तर पर 5 किमी या उससे अधिक की लंबाई वाली सभी नई सड़क परियोजनाओं के लिए सड़क सुरक्षा ऑडिट करना अनिवार्य बनाता है।

- इस मंत्रालय और आईआरसी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं को कम करने के लिए विभिन्न सड़क सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए समय-समय पर विभिन्न कोड और दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा, सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की समिति ने विभिन्न बैठकों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को इंजीनियरिंग उपायों सहित सड़क सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी किए हैं।

- सभी कार्यकारी एजेंसियों को निर्माण के दौरान राजमार्गों के लिए सुरक्षा प्रावधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के दिशा-निर्देशों तथा आईआरसी मानकों के अनुसार सड़क संकेतक, डायवर्जन सड़कों के निर्माण तथा अन्य अपेक्षित प्रावधानों के प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जानी है। आईआरसी पहले ही "कार्य क्षेत्रों में यातायात प्रबंधन पर दिशानिर्देश" के संबंध में आईआरसी: एसपी: 55-2014 जारी कर चुका है।

- मंत्रालय ने अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों अर्थात् एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल और राज्य पीडब्ल्यूडी के एनएच विंग के माध्यम से सड़क सुरक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं: -

- i. सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए सभी चरण (डिजाइन, निर्माण और संचालन) सड़क सुरक्षा ऑडिट करना;

- ii. राष्ट्रीय राजमार्गों पर जंक्शनों के पहुंच मार्गों पर रंबल स्ट्रिप्स या बार मार्किंग का प्रावधान;

- iii. एनएच नेटवर्क के वांछित स्थानों पर गति सीमा संकेतों का प्रावधान;

- iv. साइड रोड पर स्पीड ब्रेकर और संबंधित संकेतकों का प्रावधान;

- v. आईआरसी के अनुसार जंक्शन पर आने वाले यातायात के लिए एम्बर बीकन का प्रावधान।

- vi. ऊंचे तटबंधों और पहाड़ी इलाकों में क्रैश बैरियर की स्थापना;

- vii. सड़क सुरक्षा ऑडिट में सर्टिफिकेट कोर्स के लिए इंजीनियरों को प्रोत्साहित करना जिसके लिए आईआईटी और अन्य प्रमुख तकनीकी शिक्षा / अनुसंधान संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं:

- viii. एक ब्लैकस्पॉट एमआईएस पोर्टल विकसित किया गया है जहां सभी ब्लैकस्पॉट, आईडी, फोटो और सुधार की स्थिति और सुधार के बाद की प्रतिक्रिया का विवरण एकत्र किया जाएगा और निगरानी की जाएगी।

(ग) से (ड) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 95 में संशोधन किया है, जो श्रेणी सी1 (यात्री कारों) , सी2 (हल्का ट्रक) और सी3 (ट्रक और बस) के अंतर्गत आने वाले टायरों के लिए रोलिंग प्रतिरोध, वेट ग्रिप और रोलिंग ध्वनि उत्सर्जन की आवश्यकताओं को अनिवार्य करता है जैसा कि ऑटोमोटिव उद्योग मानक 142:2019 में परिभाषित है। उक्त टायर वेट ग्रिप आवश्यकताओं और रोलिंग प्रतिरोध और रोलिंग ध्वनि उत्सर्जन की स्टेज 2 सीमाओं को पूरा करेंगे, जैसा कि इस एआईएस में निर्दिष्ट है।

सी1, सी2 और सी3 टायरों के संबंध में रोलिंग प्रतिरोध सह-कुशल के लिए चरण 2 की आवश्यकताओं को AIS:142 में दर्शाया गया है।

\*\*\*\*\*